दैनिक भास्कर मुजफ्फरपुर 09-08-2020

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में उत्पाद व आय बढ़ाने के उत्तर बिहार में मौजूद हैं कई विकल्प

ऐसी आपदा को रोकना अत्यंत कठिन, परंतु इसके कारण होनेवाले नुकसान को उचित प्रबंधन से किया जा सकता है नियंत्रित

बिहार में बाढ़ एक सालाना त्रासदी है। देश के 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में से 12.7 प्रतिशत सिर्फ बिहार में है। इसमें तकरीबन 73.06 प्रतिशत क्षेत्र हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। बाढ़ से नुकसान का स्तर इसके आगमन का समय, जलमग्नता की गहराई और जलमग्नता की अवधि पर निर्भर करता है। वैसे जुलाई से सितंबर के दौरान बिहार में बाढ़ की आशंका बनी रहती है। ऐसी आपदा को रोकना अत्यंत कठिन, परंतु इसके कारण होनेवाले नुकसान को उचित प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता है।

डॉ. रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, कुलपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय

जहां तक डॉ. राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की बात है, तो कई वर्षों से यहां विभिन्न अनुसंधान व तकनीकी नवाचार द्वारा बाढ़ से नुकसान कम हो और इससे किसान व अन्य लोग कैसे बचें इसका प्रयास चल रहा है। मौसम संबंधी सलाह और बदलते मौसम की जानकारी समय पर किसानों तक पहुंचाना, स्थान विशिष्ट आकस्मिक फसल योजना और मॉडल्स का विकास, बाढ़ प्रतिरोधी फसल की किस्में, क्षेत्र विशिष्ट कृषि मॉडल समेत अनेक पहलुओं के साथ सम्मिलित रूप में इस समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और इसके कारण पीड़ित बड़ी आबादी के लिए स्थायी, लचीला और ठोस समाधान खोजने के लिए केंद्रित है। बड़े स्तर पर हमें एक उचित जलनिकासी संरचना, इन आपदाओं से पीड़ित किसानों को इनपुट और अन्य संसाधनों की उपलब्धता और आपूर्ति के आधार पर पानी के उपयोग की आवश्यकता है। बाढ़ की हानि को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय बहुत सी तकनीकें जैसे मशरूम उत्पादन तथा उसके प्रसंस्करण से बनाने वाले उत्पाद, शहद प्रसंस्करण, बांस उत्पादन तथा उनसे बने उत्पाद, हर्बल गुलाल आदि विकसित की है । इन तकनीकों का प्रशिक्षण भी विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किया जाता है।

जलजमाव की अवधि के आधार पर प्रभावित भूमि का वर्गीकरण

6 से 15 दिन जलजमाव वाले क्षेत्र : इन क्षेत्रों के लिए धान की विभिन्न किस्में विकसित की गई हैं जो 2-3 सप्ताह के लिए जलमग्नता को सहन कर सकती हैं। इन किस्मों को छोटी अवधि के जलजमाव से नुकसान नहीं होता और अगली रबी फसल समय से उगाई जा सकती है।

3 से 4 माह जलजमाव वाले क्षेत्र : इन क्षेत्रों के लिए बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में हैं। परंतु, इन किस्मों की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। आरपीसीएयू ने ऐसे क्षेत्रों के लिए प्रौदयोगिकी पैकेज विकसित किया है। इन इलाकों में अक्टूबर से जून के दौरान 2 से 3 उच्च उत्पादक वैकल्पिक फसलें कम लागतवाली सिंचाई प्रणाली 3एचपी सिंगल फेज पंप से उगाई जा सकती हैं। बिजली नहीं रहने पर भी नाव पर सौर ऊर्जा चालित पंपिंग सिस्टम को माउंट कर या सौर वृक्ष प्रौद्योगिकी से 2-3 फसलें उगा सकते हैं।

6-7 महीने जलजमाव वाले क्षेत्र : इन क्षेत्रों में उपरोक्त सिंचाई प्रणाली प्रौद्योगिकी पैकेज के तहत दो सब्जियों की फसलों का उत्पादन आराम से किया जा सकता है। इससे कम समय में ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। जलजमाव की अवधि में मखाना/सिंघाड़ा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं।

9 से 12 महीने जलजमाव वाले क्षेत्र : इन क्षेत्रों में झींगा पालन से बहुत लाभ होगा। हम यहां अन्य मछलियों का उत्पादन भी आराम से कर सकते हैं। ज्यादा जलजमाव के समय हम झींगा फिंगरलिंग्स को पॉली हाउस नर्सरी में 15 फरवरी तक स्टॉक कर सकते हैं। जब पानी का स्तर नीचे जाता है, तो हम इन फिंगरलिंग्स को पिंजरे या खुले में डाल सकते हैं। यह मछलीपालन पैकेज विशेष रिटर्न देता है।

रिमोट सेंसिंग मैप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान

रिमोट सेंसिंग तकनीक उपग्रह डेटा से क्षेत्रों का त्वरित और सटीक अवलोकन किया जा सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ रिमोट सेंसिंग तकनीक हाल के वर्षों में बाढ़ की निगरानी और आपदा प्रबंधन में काम आ रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए विवि ने मैप को निकटवर्ती क्षेत्र के लिए विकसित किया है।

अब मां जानकी की धरती